# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022(2022/85)

1. माया पत्नि किशनगोपाल
2. सोदरा पत्नि कल्याण

समस्त जाति बलाई निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

—प्रार्थीगण

बनाम

1. घीसालाल पुत्र मोहन
   - 1/1 – सीता पत्नि स्व घीसालाल
   - 1/2 – गोविन्द पुत्र स्व घीसालाल
   - 1/3 – सुरेश पुत्र स्व घीसालाल
   - 1/4 – रामसिंह पुत्र स्व घीसालाल
2. नन्दा पुत्र गीला
3. पप्पू पुत्र मदनलाल
4. सीता पत्नि घीसालाल

समस्त जाति दरोगा निवासीगण मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील केकडी जिला अजमेर।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री शिवप्रसाद पाराशर – वकील प्रार्थी

पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) – अप्रार्थी

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम**

**—:निर्णयः—**

दिनांक

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की ग्राम/कस्बा मण्डा तहसील केकडी में स्थित आराजीयात का विवरण निम्नानुसार है।

| खाता संख्या नया—पुराना | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| 128—96 | 157 | 1.90 | बरानी 2 |
| | किता 1 | रकबा 1.66 हैक्टर | |

उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। उपरोक्त आराजी में आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 150 रकबा 2.72 हैक्ट गै.मु. रास्ते से होता हुआ प्रतिवादीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 156,155 की उत्तरी मेड से होता हुआ है, जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी में आते जाते है एवं उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि को अपनी आराजी में मिलाकर पूर्णतया अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से उक्त कदीमी रास्ता को खुलासा करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये तथा रास्ता खुलासा नही किया जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 150 से होता हुआ प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 156,155 की उत्तरी मेड से 30 फीट का रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 द्वारा पत्रावली में नो इन्स्ट्रक्शन का नोट अंकित किया गया। अप्रार्थीगण 1/1 लगायत 1/4 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार केकड़ी की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

**तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट/जवाब सरकार निम्नानुसार है—**

प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 157 में आने जाने हेतु ग्राम मण्डा से मेवदाकलां जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 155,156 की उत्तरी मेड से वांछित रास्ते की कुल लम्बाई 252 मीटर है। मौका निरीक्षण पर पाया गया कि कस्बा केकड़ी सीमा से ग्राम मण्डा की सीमा से होकर ग्राम तितरिया जाने वाला रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 163 से प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 157 की दूरी 106 मीटर है, जो नजदीकी रास्ता है, लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 154 के खातेदारान ने फोर्म पोण्ड की मिट्‌टी खसरा नम्बर 154 की दक्षिणी मेड की ओर डालने से मौके पर गै.मु.रास्ता खसरा नम्बर 163 अवरूद्ध है। प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने हेतु नजदीकी रास्ता जो कि रिकॉर्डेड गै.मु.रास्ता खसरा नम्बर 163 से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 157 तक है के मध्य खसरा नम्बर 154, 158, 159 खातेदारी आते है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता खसरा नम्बर 155 मे से 40x4 कुल 160 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 156 मे से 212x4 कुल 848 वर्गमीटर इस प्रकार रास्ते हेतु उपयोग में आने वाल कुल भूमि 1008 वर्गमीटर है जिसकी डीएलसी दर से दोगुना से प्रतिदर राशि 45060/— रूपये बनती है। गै.मु. रास्ता 163 से उपलब्ध नजदीकी रास्ता हेतु खसरा नम्बर 154 में से 212 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 158 में से 108 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 159 में से 104 वर्गमीटर कुल 424 वर्गमीटर हेतु प्रतिदर राशि 18954/— रूपये बनती है।

**अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/4 का जवाब निम्नानुसार है—**

प्रार्थनापत्र का पेरा संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है, पेरा संख्या 2,4,5,6 गलत व अस्वीकार है। प्रार्थीगण का अपनी आराजी खसरा नम्बर 157 में आने जाने हेतु कभी भी प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 155,156 से नही रहा है। प्रार्थीगण ने हमेशा अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 154,158,159 की मेड का ही उपयोग उपभोग किया है जो कि प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने का सबसे नजदीकी रास्ता है एवं गैर मुमकिन रास्ता 163 में जाकर मिलता है जो कि केकड़ी सीमा से होकर ग्राम मण्डा से होकर तीतरिया जाने वाला रास्ता है। श्रीमान तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 154,158,159 की मेड से ही दर्शित है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

**—:आदेश:—**

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 157 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 155,156 से होते हुए रास्ता चाहा गया है। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके में पर गै.मु.रास्ता खसरा नम्बर 163 से खसरा नम्बर 154,158,159 से होते हुए प्रार्थीगण की आराजी हेतु नजीदीकी रास्ता बताया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में संबंधित खातेदार को आवश्यक पक्षकार नही बानाये जाने से आवश्यक पक्षकारान के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट का खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)